"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक ज़ी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 अगस्त 2012—श्रावण 13, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-25/2006/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा तथा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 13 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक या (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ उत्तीर्ण हो.

(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ उत्तीर्ण हो.

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए तथा डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए."

2. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 14 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए.

अथवा

10वीं बोर्ड परीक्षा एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डि लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए."

3. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 16 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए,

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए, तथा

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए."

4. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 17 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ कम्प्यूटर हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति, तथा

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिए तथा डाटा एण्ट्री का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 4-25/2006/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा तथा भर्ती नियम, 2008 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 अगस्त, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

Raipur, the 4th August 2012

NOTIFICATION

No. F 4-25/2006/32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Town and Country Planning Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service and Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 13, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed Higher Secondary or (10+2) or passed 1st year graduation course from any recognized Board/University.

(2) From any recognized Board/Institution or Shorthand and Typing Council :—

(a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer.

(b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer.

(3) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and should have speed of 10,000 key depression per hour in data entry."

2. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 14, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board.

Or

Should have passed 10th Board Examination and three years Diploma course in any subject.

(2) Should have one year Diploma in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English."

3. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 16, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board,

(2) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute, and

(3) Should have speed of 5,000 key depression per hour in Hindi computer typing."

4. In Schedule-III, for the entries relating to column (5) of serial number 17, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Should have passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University,

(2) Should have passed Computer Hindi Typing Examination with speed of 25 wpm along with speed of 60 wpm in Hindi Stenography from any recognized Board/Institute, and

(3) Should have passed one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and should have speed of data entry 5,000 key depression per hour."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. S. BAJAJ, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.